भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4137

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

'बीमा सखी' पहल के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार

4137. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा विशेषकर जीवन बीमा निगम में 'बीमा सखी' के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई पहल की गई है;

(ख) 'बीमा सखी' पहल के मुख्य उद्देश्यों, अनुमानित परिणामों और कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है और यह किस प्रकार वर्ष 2047 तक सरकार के "सभी के लिए बीमा" के दृष्टिकोण के अनुरूप है;

(ग) राजस्थान और पंजाब राज्यों के विशेष संदर्भ में, महिलाओं में उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में 'बीमा सखी' पहल की क्या भूमिका होगी;

(घ) जमीनी स्तर पर 'बीमा सखियों' के चयन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को इस पहल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए; और

(ड.) क्या इस योजना के अंतर्गत निर्धारित वृतिका बहुत कम है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): बीमा सखी- जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की "महिला कैरियर एजेंट (एमसीए) योजना" का शुभारंभ दिनांक 9 दिसंबर, 2024 को किया गया था । इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, बीमा सखियों के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए एलआईसी द्वारा कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(ख) और (ग): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं सहित वित्तीय साक्षरता, बीमा जागरूकता और बीमा कवरेज को बढ़ावा देती है, जो सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

यह योजना बीमा सखियों को कमीशन भुगतान के अलावा स्टाइपेंड प्रदान करती है जो उन्हें वित्तीय स्थिरता और आय के नियमित स्रोत के अलावा उद्यमिता कौशल सृजन में मदद करती है। दिनांक 07.08.2025 की स्थिति के अनुसार, कार्यरत बीमा सखियों (एमसीए) की कुल संख्या 2,20,339 है तथा राजस्थान और पंजाब में क्रमशः 16,176 और 4,202 बीमा सखियां (एमसीए) कार्यरत है।

(घ): किसी भी महिला आवेदक को पात्रता मानदंडों के साथ आयु, अर्हता और भर्ती पूर्व परीक्षा शर्तों को पूरा करने पर "महिला कैरियर एजेंट-एलआईसी की बीमा सखी" के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, योजना के प्रावधानों के अनुसार सभी बीमा सखी एजेंट अपनी नियुक्ति के तीन माह के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों की महिला लाभार्थियों के लिए खुली है।

(ङ): एलआईसी बीमा सखियों को उनकी नियुक्ति से पहले 3 वर्षों तक के लिए स्टाइपेंड का भुगतान करता है ताकि उन्हें जीवन बीमा एजेंसी कैरियर बनाने में सहायता मिल सके। स्टाइपेंड की राशि पहले वर्ष में 7000/- रुपये प्रति माह से लेकर तीसरे वर्ष में 5000/- रुपये तक होती है। यह उनके द्वारा बेची गई पॉलिसियों पर प्राप्त होने वाले कमीशन के अतिरिक्त है।
